Contract Farming

*187.DR. VIKAS MAHATME: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to experiment with Contract Farming to help develop the marketing links that are necessary for raising the efficiency of agriculture;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, whether such a proposal would be considered in the near future to deal with various problems relating to farming?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. In order to develop direct marketing link between the farmers and contract farming sponsors (processors, organized retailers and exporters, etc.) and also to mitigate price risk and market uncertainties the Government has formulated and released a progressive and facilitative Model Act, by the name of "The---------State/UT Agricultural Produce and Livestock Contract Farming and Services (Promotion and Facilitation) Act, 2018" in May, 2018 for its adoption by the States/Union Territories (UTs). The aforesaid Model Act covers the entire value and supply chain from pre-production to post-harvest marketing stages, besides covering services contract for the agricultural produce and livestock. The Model Act aims at mitigating price risks and market uncertainties for the contracting parties and help develop the marketing links that are necessary for raising efficiency of agriculture.

(c) In view of (a) & (b) above, the Question does not arise.

डा. विकास महात्मेः सर, मैं मंत्री जी का अभिवादन करना चाहूंगा कि वे ठेका आधारित कृषि मॉडल एक्ट लाए, जिससे किसान को बहुत लाभ होगा। मेरा सवाल यह है कि जो ठेकेदार हैं, अगर वे ज्यादा chemical fertilizers use करते हैं, pesticides use करते हैं, तो उसके खेत की soil health कम हो सकती है। इससे पांच साल के बाद वह कुछ उगा नहीं पाएगा और उससे कुछ फसल नहीं ले पाएगा। क्या इस एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है या बाद में ऐसा करने की कोशिश की जाएगी?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग न हो, इसके लिए देश में प्रथम चरण में 10 करोड़ से अधिक किसानों को Soil Health Card दिया गया है। अब द्वितीय चरण भी प्रारम्भ हो चुका है। असंतुलित उर्वरकों के प्रयोग को रोकने के लिए इस सरकार ने पहले ही कदम उठा रखा है।

जहां तक ठेका कृषि का सवाल है, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय किसान नीति के पृष्ठ 21 के चैप्टर 9 में लिखा हुआ था, 2007 में जो किसान नीति बनी थी, कि संविदा कृषि वस्तु विशिष्ट खेती की जरूरत को पूरा करने के लिए संविदा खेती आचार संहिता या एक मॉडल संविदा विकसित की जाएगी। संविदा खेती में किसान को किसी भी परिस्थिति में उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जाएगा। 2007 में किसान नीति में यह बात आई थी। हमने 2018 में ड़ेढ वर्षों तक राज्यों से बातचीत करके मॉडल एक्ट जारी किया है। किसान का अधिकार है, सुरक्षित है और वह Soil Health Card के माध्यम से काम करेगा।

DR. VIKAS MAHATME: Sir, I understand that in this model Act, there is a robust dispute settlement mechanism, but we know that the contractors are very powerful and the farmers are powerless. So, is there any provision in the Act that whatever dispute settlement mechanism is provided, it will reach the farmers? That means, will the Government spread awareness about this Act and its provisions among the farmers?

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister. You have raised your question.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय सभापति महोदय, देश में जो Contract Act है, contract उसके अधीन आता था। Contract Act में हमेशा से ही दो पक्ष हैं। किसान से जुड़े हुए पक्ष के संबंध में किसान और कॉरपोरेट या किसान और कोई processor contract में हो, तो हमेशा ही यह देखा गया कि किसान एक कमजोर कड़ी है और उसको दबाया जाना संभव है। हमने यह जो नया Model Contract Act बनाया है, इसमें इन सारे प्रावधानों को इस दृष्टिकोण से चिन्हित किया गया है, निर्धारित किया गया है कि किसान के पक्ष को केवल बराबरी का पक्ष ही नहीं, अपितु किसान के पक्ष की ज्यादा चिन्ता की जा सके। जहां तक dispute settlement mechanism का प्रश्न है, उसमें एक robust mechanism develop किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर, यदि आपसी बातचीत या समझौते के आधार पर, ombudsman बैठा करके या arbitration के माध्यम से dispute settlement हो सकता है, तो वह किया जा सकता है, वरना तहसीलदार के यहां जा करके अथवा राज्य सरकार जिस किसी भी अधिकारी को registration authority नियुक्त करती है, उसको time-frame में, किसान के हित की चिंता करते हुए, उसकी समस्या का निस्तारण करना अनिवार्य है।

DR. NARENDRA JADHAV: Sir, the draft Contract Farming Act provides for establishing a State-level Contract Farming (Promotion and Facilitation) Authority to ensure implementation of the Model Act. Sir. my supplementary question has two parts. First part is, how many such State-level Contract Farming (Promotion and Facilitation) Authorities have been established so far, and the second part is, since the establishment of the e-NAM, that is, the National Agriculture Market, how many contract farming agreements have been entered into between buyers and sellers over the portal?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय सभापति महोदय, 22 मई को हमने यह Model Contract Farming Act देश के राज्यों के समक्ष प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तक इसमें लगभग तीन महीने का ही कालखंड बीता है, लेकिन विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक, इन चार राज्यों ने इस दिशा में काम करना प्रारम्भ कर दिया है। किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा कोई बोर्ड संसूचित किया हो, इसकी सूचना अभी तक इन तीन महीनों में हमें प्राप्त नहीं हुई है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो ऐक्ट बना था, उसी ऐक्ट को 21 राज्यों ने अपने-अपने यहां पर लागू किया है।

श्री रवि प्रकाश वर्माः सर, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि Model Contract Farming Act बनाया गया है, लेकिन यह पता नहीं लग पाया है कि अभी तक State-wise कितनी जमीनों पर फार्मिंग चालू हो चुकी है। सर, मेरा सवाल यह है कि जो value added agriculture है, specially herbs and spices, यह एक नया ज़ोन है, जिसका export potential भी है। माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि क्या contract farming के माध्यम से कोई ऐसी modalities सामने आई हैं, जिनमें किसानों की मदद करने के लिए यह जो value added components हैं, specially herbs and spices. इनके ऊपर काम चालू किया गया है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान ऐक्ट को हमने केवल तीन महीने पहले ही संसूचित किया है, तो इस ऐक्ट के अधीन कोई नया कॉन्ट्रेक्ट हो करके काम प्रारम्भ हुआ हो, ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की और सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जो पूर्ववर्ती Contract Farming Act था, उसके आधार पर विभिन्न प्रदेशों में अभी तक इस तरह के काम चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों में contract farming पर अश्वगंधा की खेती करके, उसका root extract निकाल कर export करने का काम किया जा रहा है। देश के अन्य प्रांतों में भी इसी तरह के कामों के लिए contract farming करवाई जा रही है।

डा. अशोक बाजपेयीः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि land holding लगातार कम होती जा रही है और जोतें अलाभकारी हो गई हैं, इसीलिए contract

farming पर विचार करने की बात उठी है। महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि contract farming अंगीकार करने के बाद किसानों की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सरकार ने इसका कोई अध्ययन किया है कि वर्तमान में कृषि से किसानों की जो आय है, contract farming के बाद उनकी आय में क्या परिवर्तन आएगा?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः सभापति महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रारम्भिक भाग में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। Economics का एक Economics of scale का सिद्धांत है, लेकिन इस देश के किसानों के सामने fragmentation of land एक बड़ी चुनौती बन करके उभरा है। इस प्रॉब्लम को address करने के लिए देश की सरकार ने दो निर्णय लिए हैं। एक तो ' Contract Farming Act' को हमने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए नया 'Model Contract Farming Act' बनाने के लिए संस्तुत किया है, ताकि किसान Economcis of scale पर काम रक सकें। किसान न केवल अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए, अपितु आदान के क्रय के लिए भी Economics of scale पर काम कर सकें, साथ ही एकत्रित होकर होलसेल में inputs को भी खरीद सकें। इसके साथ ही साथ सरकार ने farmer producer companies को promote करके, विभिन्न प्रावधानों के तहत उन्हें income tax and other benefits देते हुए strengthen करने का काम भी किया है, ताकि किसान एकत्रित होकर बड़े प्रमाण में कृषि कार्य कर सकें।

Recruitment for Group 'D' posts

*188.SHRI JOSE K. MANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether despite the automation projects aimed to improve safety, the Railways propose to hire about one lakh staff through an online process, mainly in Group 'D' comprising of gangmen, trackmen, switchmen, cabinmen, welders and helpers;

(b) whether there being no recruitment for Group 'D' during the last two years, the operational efficiency of Railways has taken a hit with most of the trains running late in all the Zones; and

(c) whether Railways have the professional manpower and systems capacity to process more than 2.5 crore pending applications?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.